



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 26.07.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ थाना बिसण्डा पुलिस द्वारा अवैध गांजे के साथ अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से 04 किलो 250 ग्राम अवैध सूखा गांजा बरामद।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा जनपद बांदा को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन ईगल” के क्रम में थाना बिसण्डा पुलिस द्वारा अवैध सूखे गांजे के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब हो कि दिनांक 25/26.07.2026 की रात्रि थाना बिसण्डा पुलिस को गश्त एवं चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को सडवां पुरवा मोड ओरन ग्रामीण के पास अवैध सूखे गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से कुल 04 किलो 250 ग्राम अवैध सूखा गांजा बरामद हुआ है। पुलिस द्वारा बरामद अवैध सूखे गांजे को कब्जे में लेकर अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय भेजा गया।

बरामदगी-

- 04 किलो 250 ग्राम अवैध सूखा गांजा।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अशोक पुत्र मुन्नीलाल निवासी अतर्रा रोड कस्बा ओरन थाना बिसण्डा जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 355/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बिसण्डा जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

1. उ0नि0 श्री अनुराग पाण्डेय चौकी प्रभारी सिंहपुर थाना बिसण्डा
2. उ0नि0 श्री रामनायण सिंह
3. कां0 रितिक राय
4. कां0 अरुण गुप्ता
5. कां0 चालक अनिल पटेल